207

संख्या– /XXVIII–4–2012–81/2010

प्रेषक,

पीयूष सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 20 जुलाई, 2012

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु धन आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–6प/नियो0/38/2009/22932 दिनांक 30.06.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित करने के लिये बीमा कम्पनियों को प्रीमियम देने के लिये राज्यांश के रूप में संलग्नक में अंकित विवरणानुसार रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. यह सुनिश्चित किया जाय कि बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया व्यय अनुबन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार है।
2. धनराशि का आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। विगत वर्ष में लाभार्थियों की बीमा अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने एवं उक्त के लिये अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने अथवा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने पर ही उक्त के लिये अपेक्षित राज्यांश का आहरण/व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
3. धनराशि उसी मद मे व्यय की जाये जिसके लिये स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत मद से इतर कदापि व्यय न किया जाय।
4. धनराशि को शीघ्र कोषागार से आहरित कर स्टेट नोडल ऑफिसर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं जनपदों के लाभार्थियों के स्वास्थ्य बीमा पर किया जाय जिसके लिये बीमा कम्पनियों के साथ अनुबन्ध निष्पादित हुआ है।
6. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथा-आवश्यकतानुसार मितव्ययता को ध्यान में रखकर नियमानुसार किया जाना सुनिशिचित किया जायेगा।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण उपयोग करना सुनिश्चित किया जाय। यदि उक्त तिथि को कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो वह नियमानुसार शासन को समर्पित की जायेगी।

8. स्वीकृत धनराशि का आहरण, व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 321/XXVII(I)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–12 एवं 30 के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों के प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–43(P)/XXVII(3)2012-13 दिनांक 17 जुलाई, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त (साफ्टकॉपी द्वारा आंवटन की प्रति)

भवदीय,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 704(1)/XXVIII–4–2012–81/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. नोडल अधिकारी, आर0एस0बी0वाई0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग।
7. चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव